2015/00829

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2015 (अपील)

उनवान

ज्ञानचन्द पुत्र श्री गंगाराम जाति मीणा निवचासी ग्राम अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- श्री गुलाब सिंह (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 14.03.2013 मिसल नम्बर 616/2013
न्यायालय नायब तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 29.07.2019

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एंव तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की गई तथा विचारण अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2013 को निर्णय पारित किया गया, जिसकी अप्रसन्नता से अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में द्वितीय अपील मिसल नम्बर 13/233 ज्ञानचन्द बनाम सरकार प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा उनके यहां विचारण उक्त अपील में दिनांक 09.12.2014 को निर्णय पारित किया गया, पारित उक्त निर्णय दिनांक 09.12.2014 से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.06.2013 निरस्त किया गया तथा प्रकरण इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि "अपीलाण्ट के पिता गंगाराम के पक्ष में नीलामी द्वारा हुऐ आवंटन दिनांक 05.03.1967 के सम्बन्ध में जांच करते हुऐ एंव यदि चाहे अपीलाण्ट द्वारा साक्ष्य एंव दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ विधि सम्मत निर्णय पारित करे।"

2. प्रकरण अपील प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलाण्ट को माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित निर्देशानुसार साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, तथा योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

3. अपीलाण्ट की ओर से दौराने विचारण अपील अपने पक्ष समर्थन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में अपीलाण्ट के पिता गंगाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 ले0 रे0 एक्ट एंव उसकी आदेशिका की प्रति दस्तावेज दिनांक 07.01.2015 को तथा

उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 की प्रति, जिसके द्वारा खसरा नम्बर 291 रकबा 0.34 है0 प्रार्थी (गंगाराम) के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये गये, दिनांक 08.09.2016 को प्रस्तुत की गई, तत्पश्चात अपीलाण्ट को अन्य साक्ष्य सबूत एंव सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया किन्तु अपीलाण्ट की ओर से नवीन रूप से अन्य कोई राजस्व रेकार्ड / दस्तावेज अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत नहीं किऐ गये। अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में खसरा नम्बर 291 रकबा 0.34 प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता गंगाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट की ओर से किसी राजस्व रेकार्ड की नकल प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2013 वाके ग्राम अयानी की आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.39 है, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.21 है0 खसरा नम्बर 358 रकबा 2.20 हैक्टयर कुल किता 4 रकबा 3.30 हैक्टयर आराजी के सम्बन्ध में है, तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 14.06.2013 से उक्त खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 354 एंव 358 के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर दिशा निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पीपल्दा को पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। तथा उक्त निर्णय दिनांक 14.06.2013 से खसरा नम्बर 291 रकबा 0.50 हैक्टयर एंव खसरा नम्बर 355 रकबा 0.39 हैक्टर के सम्बन्ध अपीलाण्ट की अपील खारिज की गई थी, अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 14.06.2013 की अप्रसन्नता से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत अपील में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 09.12.2014 से इस न्यायालय का उक्त निर्णय 14.06.2013 निरस्त किया गया तथा प्रकरण दिशा निर्देशों के साथ वापस प्राप्त होने पर अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अपीलाण्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में ऐसे किसी राजस्व रेकार्ड यथा जमाबन्दी, नामान्तरकरण की नकल प्रस्तुत नहीं की है, जिससे कि यह पाया जाता हो कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवायचक खाता सरकार भूमि दर्ज नहीं हो। परिणामतः अपीलाण्ट को राजस्व भूमि पर अपनी अधिकारिता के सम्बन्ध में प्रमाणिक दस्तावेज राजस्व रेकार्ड के अभाव में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किऐ जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

5. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

6, निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा